हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	अहकाम की तामील
6-10-2020	वकुलाय उप०। P.O सा० चुनाव कार्य में दौरे पर पधारे हुये है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/10/2020 को पेश हो।	
12-10-2020	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता का कथन है कि प्रकरण में मौका रिपोर्ट भु०अ० नि० दिनांक 19-6-2018 वास्तविक स्थिति के विपरीत तैयार की गई है। रिपोर्ट की मद नं. 2 में कयानी रास्ता नही होने का उल्लेख किया गया है जबकि दुसरी और पास में ही कदीमी आम रास्ता वर्तमान में चालू स्थिति में है। भू. अ. निरीक्षक रिपोर्ट पर पक्षकारो के हस्ताक्षर नही है। ऐसा कोई नियम है तो बताये। तहसीलदार से रिपोर्ट नही मांगी गई है। भू० अ० नि० ने किसी को सूचित नही किया है। इनके जवाब की मद नं. । में प्रभावित व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा, सुविधा की आवश्यकतानुसार नही दिया जा सकता अंकित किया है इसके लिये [illegible] नही है, ये केवल [illegible] डिस्पोजल करने का [illegible] रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक को ही आक्षेपित कर रहा हूं। मेजरनामा व शपथ पत्र भी पेश किये है। दौराने बहस राजस्व मण्डल राज	

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]थाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:02 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

अजमेर जगदीश जाट व अन्य बनाम छीतरमल जाट 2018 DNJ (Rev) 221, Catation 2018 DNJ (Rev) 224, catation 2019 DNJ (Rev) 212 Bachan Kour and ors. vs. Niranjan Singh and ors. नजीरें पेश करते हुये आपत्ति प्रा०पत्र स्वीकार कर पुनः मौका निरीक्षण हेतु निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी (प्रा०पत्र 251(A) के प्रार्थी) ने दौराने बहस बताया कि मेजरनामा का क्या औचित्य है। प्रा०पत्र 23-12-2019 की है। मेजरनामा बाद का है इस प्रकार इससे कोई लाभ लेने के हकदार नहीं है। DNJ के निर्णय में रिपोर्ट इसलिए नहीं मानी गई कि रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को आदेशित किया गया था और पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया गया है। इस प्रकरण में ILR की रिपोर्ट है। न्यायालय द्वारा ILR को ही आदेशित किया गया था। इसलिए कोई कानूनी खामी नहीं है। इनके प्रा०पत्र के मद नं. 4 में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट नहीं आना आरोपित किया गया है जो गलत है। भु.अ.नि. मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकृत एवं सक्षम है। 251(A) RTA एक समरी बॉडी ट्रायल है। उक्त प्रकरण में "आवेदन पत्र की जाँच और निपटारा प्रारूप क में आवेदन पत्र की प्राप्ति पर उपखण्ड अधिकारी या तो स्वयं स्थल का निरीक्षण करेगा या निरीक्षक भु०अ० से अन्यून रैंक के किसी अधिकारी से उसका निरीक्षण करवायेगा और [illegible] व्यक्तियों से आक्षेप आमंत्रित करेगा। उक्त रिपोर्ट [illegible] मौके पर ही तो आक्षेप इस प्रा०पत्र [illegible] गये हैं। कटान के रास्ते से सर्वथा नमंद [illegible] कहीं से मिलना चाहिए। इनके द्वारा आरोपित व प्रस्तुत आपत्ति प्रा०पत्र में अपने अनुसार बताया है। 1. ILR सक्षम है। 2. ILR को 13/6/18 को तहरीर जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:02 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुकम में ज
	हुई है जो पत्रावली पर उपलब्ध है। ये वैसे समरी ट्रायल है, आक्षेप इस प्रा० पत्र के आधार पर प्रकरण को देरी करने के उद्देश्य से है। दौराने बहस राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग का परिपत्र No F-3 (2) Rev 6/03/Pt/7 जयपुर दिनांक 2/3/2012 एवं RRT 2018-19 (Supp.) ओमप्रकाश v. रुक्मणी देवी पेज 514 नजीरें पेश करते हुये निवेदन किया कि आपत्ति प्रा० पत्र खारिज किया जावे। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया, प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों, प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों, न्यायिक दृष्टान्त तथा दौराने सुनवाई विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्क-वितर्कों पर गौर किया गया। आदेशिका दिनांक 4/5/2018 के अवलोकन से पाया गया कि गिरदावर हल्का को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण में आदेशित किया गया है जिसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपनी रिपोर्ट में यह अंकित करें कि क्या रास्ता अति आवश्यक है एवं क्या मौके पर वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम दूरी का हो, सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुये, सभी बिन्दुओं का वर्णन करते हुये प्रस्तावित रिपोर्ट में रास्ते की लम्बाई चौडाई का उल्लेख कर पेश करें। जिसकी पालना में गिरदावर हल्का द्वारा सभी बिन्दुओं पर जाँच उपरान्त मौका स्थिति व रिकार्ड अनुसार अपनी रिपोर्ट [illegible] कर प्रस्तुत की है जिसमें न्यूनतम दूरी [illegible] उल्लेख करते हुये न्यूनतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/कमी होना नहीं पाया जाता है। जहाँ तक भु० अ० निरीक्षक द्वारा रिपोर्ट तैयार करने का प्रश्न है। भु० अ० निरीक्षक प्रा०पत्र 251(A)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:02 IST
Reason: SelfAttested

	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
	RTA मे मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु अधिकृत व सक्षम है। इस सबंध मे वकील प्रार्थी द्वारा पत्र 251(A) द्वारा प्रस्तुत नजीर भी पूर्णतया चस्पा होती है। वकील आपत्तिकर्ता प्रा०पत्र द्वारा प्रस्तुत नजीरे इस प्रकरण मे लागू नही होती है क्योंकि इसमे तहसीलदार के मौका देखने हेतु आदेशित किया गया था। तहसीलदार द्वारा मौका नही देखा जाकर पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट तैयार करने के आधार पर खारिज किया गया है। अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा०पत्र आपत्ति साबित नही होने से खारिज किया जाता है। वास्ते अन्तिम बहस पत्रावली दिनांक 16-10-2020 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
16/10/2020	बमुलाय उप०। वकील अप्रार्थी की ओर से एक प्रा०पत्र बाबत चाहे जाने प्रमाणित प्रतिलिपि पेश हुआ। नकल वकील प्रार्थी को दिलवायी गयी। वकील प्रार्थी प्रा०पत्र का जवाब प्रस्तुत नही कर बहस करने हेतु तैयार है। इस पर बहस बमुलाय सुनी गयी। न्यायालय द्वारा स्वयं [illegible] वस्तुस्थिति हेतु सोमोटो मौका [illegible] जिसकी कोई फर्द मौका रिपोर्ट [illegible] नही की गई है केवल सरसरी तौर मौका देखा गया है। अत: प्रा०पत्र बाबत चाहे जाने प्रतिलिपि खारिज किया जाता है। वास्ते अन्तिम बहस पत्रावली दिनांक 21-10-2020 को पेश हो।	
21/10/20		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.19 17:03:02 IST
Reason: SelfAttested